रोबोटिक सर्जरी शोध की नई पहल शुरू

इंट्यूटिव फाउंडेशन के साथ मिलकर डिजिटल सर्जिकल मॉडल विकसित होंगे

खड़गपुर, 19 दिसंबर. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने रोबोटिक समर्थित शल्य चिकित्सा क्षेत्र में इंट्यूटिव फाउंडेशन के साथ साझेदारी में एक नये शोध कार्यक्रम की घोषणा की है.

इंट्यूटिव फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे मिनिमली इनवेसिव केयर में वैश्विक लीडर और रोबोटिक समर्थित शल्य चिकित्सा की अग्रणी इंट्यूटिव सर्जिकल द्वारा वित्त पोषित किया जाता है. इस कार्यक्रम का मकसद सर्जिकल केयर के व्यापक डिजिटल मॉडल विकसित करना है जो रोबोटिक प्रक्रिया में सुरक्षित दिशा निर्देश के शुरुआती चरण के ऑटोमेशन को सहयोग कर सकें. इसके साथ इस पहल से सर्जनों को ज़्यादा आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे आदर्श और अनुमानित चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से मरीज़ों को बेहतर सेवायें मिलेंगी.

इन मॉडलों को टेस्ट करने के लिए आईआईटी खड़गपुर दा विंची रिसर्च किट (डीवीआरके) का इस्तेमाल करेगा . यह काम एक बहु अनुशासनिक शोध टीम द्वारा निर्देशित किया जाता है और इसे कोलकाता के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के साथ आईआईटी खड़गपुर के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग से समर्थन मिलता है. असली क्लिनिकल सेटिंग्स में कोलेसिस्टेक्टोमी प्रक्रियाओं (पित्ताशय को सर्जरी से हटाना) को बारीकी से ठीक करके, शोधार्थियों को इस बात की वास्तविक जानकारी मिलेगी कि शल्य चिकित्सा कैसे होती है, जिससे उन्हें डिजिटल मॉडल को बेहतर बनाने और यह पहचानने में मदद मिलेगी कि सहायक टूल का सबसे ज़्यादा असर कहाँ हो सकता है. संस्थान के निदेशक प्रो. सुमन चक्रवर्ती ने बुधवार को कहा, यह कार्यक्रम सर्जिकल देखभाल में जटिल चुनौतियों से निपटने में शिक्षाविदों, डॉक्टरों और वैश्विक टेक्नोलॉजी साझेदारों के बीच सहयोग की ताकत को दिखाता है.

सोना-चांदी के दाम हुए सस्ते

नई दिल्ली, 19 दिसंबर. अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो शुक्रवार का दिन आपके लिए राहत लेकर आया है. 19 दिसंबर को भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार शाम के मुकाबले शुक्रवार सुबह कीमती धातुएं सस्ती हो गईं. 24 कैरेट सोने से लेकर 22 कैरेट और चांदी तक, सभी श्रेणियों में कीमतों में नरमी देखने को मिली, जिससे खरीदारों में फिर से उम्मीद जगी है. भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना-चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार शाम की तुलना में शुक्रवार सुबह सोने और चांदी के भाव नीचे आए. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 1,32,394 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो गुरुवार के मुकाबले 80 रुपये सस्ता है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 73 रुपये गिरकर 1,21,273 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने में भी क्रमश: 60 और 46 रुपये की गिरावट देखी गई. चांदी की बात करें तो 999 शुद्धता वाली चांदी आज 784 रुपये सस्ती होकर 2,00,336 रुपये प्रति किलो पर आ गई.

रुपए की मजबूती से चढ़ा शेयर बाजार

मुंबई, 19 दिसंबर. रुपये में जारी तेजी से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा लिवाली रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 447.55 अंक (0.53 प्रतिशत) चढ़कर 84,929.36 अंक पर पहुंच गया.

[See Regulation 33(2)]
BY Regd. A/D, Dasti failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
(2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building),
Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur -482001 MP

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/264/2025 08-12-2025

INDIAN BANK ERSTWHILE ALLAHABAD BANK
Versus
JAGRATI ENTERPRISES

TO
(CD 1) JAGRATI ENTERPRISES
11, NEELGANGA MARG, PRAJAPATI COLONY, UJJAIN, MADHYA PRADESH
(CD 2) DEEPAK PRAJAPATI
11, NEELGANGA MARG, PRAJAPATI COLONY, UJJAIN (MP), Ujjain, MADHYA PRADESH
(CD 3) NARENDRA PRAJAPATI
15, NALIYA BAKHAL, UJJAIN (M.P.), Ujjain, MADHYA PRADESH
(CD 4) ARPAN PRAJAPATI
15, NALIYA BAKHAL, UJJAIN (M.P.), Ujjain MADHYA PRADESH

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY, TRIBUNAL JABALPUR in **OA/894/2016** an amount of **Rs. 21955591 (Rupees Two Crore Nineteen Lakhs Fifty Five Thousands Five Hundred Ninety One Only)** along with pendentellite and future interest @ 2.50 % Simple Interest Yearly w.e.f. **24/12/2016** till realization and costs of **Rs. 150000 (Rupees One Lac Fifty Thousands Only)** has become due against you (Jointly and severally/ Fully/Limited).

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.

3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.

4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **02/02/2026** at 10:30 a.m. for further proceedings.

5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

(a) Such interests' as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **08/12/2025**

SEAL

Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR

इंजीनियरिंग निर्यात पर शून्य शुल्क

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण को और मजबूत करने की उम्मीद

2,123 इंजीनियरिंग टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क

कोलकाता, 19 दिसंबर. ईईपीसी इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की प्रशंसा की है, जिन्होंने दक्षिण-पश्चिम एशियाई देश की यात्रा के दौरान ओमान के साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को सफलता पूर्वक संपन्न किया.

ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण विकास है. यह मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी होने के बाद ओमान में भारतीय इंजीनियरिंग सामानों के लिए शून्य-शुल्क पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है. उन्होंने कहा, यह एक और प्रमुख व्यापार समझौता है जो इंजीनियरिंग उद्योग को निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति को विविधतापूर्ण और गहरा करने में मदद करेगा. मध्य पूर्व और अफ्रीका का प्रमुख प्रवेश द्वार होने के नाते, ओमान के साथ व्यापार समझौता विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बहुत सारे व्यापारिक अवसरों का वादा करता है.

यह ऐतिहासिक समझौता भारतीय कंपनियों के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण को और मजबूत करने की उम्मीद है. 2,123 इंजीनियरिंग टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुंच से भारतीय इंजीनियरिंग सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है और निर्यातकों को ओमान में विस्तार करने में मदद मिलेगी. यह उपाय औद्योगिक मशीनरी, विद्युत उपकरण, ऑटो पार्ट्स, धातुओं और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों की मदद करेगा. उन्होंने कहा कि ओमान को भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है, जो 2028 तक लगभग 1.3 से 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है.

इंजीनियरिंग निर्यात को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है

यह समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों, एमएसएमई और विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोलता है, साथ ही भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है. मुख्य लाभार्थी क्षेत्रों में औद्योगिक मशीनरी, विद्युत उपकरण, ऑटो कंपोनेंट्स, लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं और विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं. बेहतर बाजार पहुंच और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ, ओमान को निर्यात 2028 तक लगभग 1.3-1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो आगे मजबूत वृद्धि की संभावनाओं का संकेत देता है.

इंडिया एनर्जी स्टैक टॉस्कफोर्स की दूसरी बैठक संपन्न

नई दिल्ली, 19 दिसंबर, इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) टास्कफोर्स की दूसरी बैठक आज हुई, जिसमें टास्कफोर्स के सदस्यों के साथ-साथ बिजली मंत्रालय, रेगुलेटर, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और अन्य मुख्य स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

मीटिंग में आईईएस स्ट्रेटेजी और आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स के वर्जन 0.2 ड्राफ्ट की समीक्षा की गई, जिन्हें बिजली मंत्रालय द्वारा बुलाई गई पहली मीटिंग के दौरान दिए गए गाइडेंस के आधार पर डेवलप किया गया है. पिछली मीटिंग में, टास्कफोर्स ने आईईएस के विजन पर सहमति जताई थी कि यह पावर सेक्टर के लिए भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) होगा, जिसमें मॉड्यूलरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, स्टैंडर्ड-आधारित डिजाइन और असल दुनिया में लागू करने की क्षमता पर खास जोर दिया जाएगा. स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट का वर्जन 0.2, पूरे यूज केस पैकेज के जरिए के डेवलपमेंट का प्रस्ताव देकर एग्जीक्यूशन पर फोकस को मजबूत करता है. यह शुरुआती यूज़ केस को प्राथमिकता देने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूब्रिक पेश करता है, पावर सेक्टर से संबंधित मौजूदा नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैप करता है, और एक मज़बूत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की रूपरेखा बताता है, जिसमें नेशनल पावर सेक्टर डेटा पॉलिसी के पीछे का तर्क भी शामिल है. मीटिंग में टास्कफोर्स के चेयरमैन डॉ. राम सेवक शर्मा (पूर्व डायरेक्टर जनरल, ; पूर्व सीईओ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी; पूर्व चेयरमैन,); प्रदीप कुमार पुजारी (वाइस चेयर, डिस्टिंग्विश्ड फेलो, पूर्व चेयरमैन, पूर्व सेक्रेटरी पावर); श्री प्रमोद वर्मा (को- फाउंडर,; पूर्व चीफ आर्किटेक्ट, आधार); आलोक कुमार ; श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (सीएमडी, आरईसी लिमिटेड); श्वेता रवि कुमार (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ग्लोबल); डॉ. राहुल टोंगिया (सीनियर फेलो,; रेजी पिल्लई (प्रेसिडेंट); प्रणव तायल (डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर) शामिल हुए.

> इस मौके पर बोलते हुए, आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, इंडिया एनर्जी स्टैक भारत के पावर सेक्टर के लिए एक यूनिफाइड, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल नींव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. वर्जन 0.2 टास्कफोर्स की सामूहिक समझ और कॉन्सेप्ट से एग्जीक्यूशन की ओर एक मजबूत बदलाव को दिखाता है.

एयरटेल में नेतृत्व बदलाव, नया युग

गोपाल विट्ठल बनेंगे वाइस चेयरमैन, शाश्वत शर्मा संभालेंगे सीईओ की जिम्मेदारी

डिजिटल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क रणनीति पर विशेष फोकस

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर. देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी सुव्यवस्थित उत्तराधिकार योजना के तहत शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलावों की घोषणा की है. पिछले 13 वर्षों से प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले गोपाल विट्ठल एक जनवरी 2026 से भारती एयरटेल के एक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की नई भूमिका संभालेंगे.

वहीं, वर्तमान सीईओ डेजिग्नेट शाश्वत शर्मा इसी दिन से कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे. नेतृत्व परिवर्तन की इस प्रक्रिया के तहत गोपाल विट्ठल अब समूह स्तर पर डिजिटल, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क रणनीति और टैलेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तालमेल बिठाने और भविष्य की रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. पिछले एक साल से गोपाल विट्ठल के मार्गदर्शन में व्यवसाय की बारीकियों को समझने वाले शाश्वत शर्मा अब इंडिया ऑपरेशंस का नेतृत्व करेंगे और श्री विट्ठल को रिपोर्ट करेंगे.

कंपनी ने वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं. वर्तमान सीएफओ सौमेन रे को अब ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि अखिल गर्ग भारती एयरटेल इंडिया के नए सीएफओ होंगे. इसके अलावा, रोहित पुरी को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पंकज तिवारी समूह स्तर पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे.

> एयरटेल के मौजूदा प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्ठल आगामी एक जनवरी से पदोन्नत होकर कार्यकारी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे. एयरटेल ने बताया कि श्री विट्ठल की जगह शाश्वत शर्मा कंपनी के नये एमडी एवं सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे. वह श्री विट्ठल को रिपोर्ट करेंगे. इसके अलावा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सोमेन रॉय पूरे भारती समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे. वह चार साल से अपने मौजूदा पद पर हैं. उनकी जगह मौजूदा वित्त नियंत्रक एयरटेल के नये सीएफओ होंगे.

फ्लिपकार्ट ने मिनिवेट एआई में हासिल की नियंत्रक हिस्सेदारी

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने एआई और मशीन लैंग्वेज समाधान प्रदाता कंपनी मिनिवेट एआई में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली है.

फ्लिपकार्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह अधिग्रहण मूल रचनात्मक एआई (जेनएआई) क्षमताओं के निर्माण और उनमें निवेश की दिशा में एक रणनीतिक कदम है. इससे फ्लिपकार्ट और दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अधिक सहज तथा बेहतर खरीदारी अनुभव की ओर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. मिनिवेट एआई ई-कॉमर्स के लिए रचनात्मक वीडियो पर केंद्रित है, जो उत्पादों के कैटलॉग को तस्वीरों की सीमाओं से निकालकर आकर्षक वीडियो कंटेंट में बदलता है.

यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक प्रोडक्शन लागत से बेहद कम खर्च पर उच्च-गुणवत्ता के परिणाम प्रदान करता है. वीडियो के अलावा मिनिवेट एआई ई-कॉमर्स की एआई क्षमताओं का एक व्यापक सूट भी पेश करता है.

Form no.4

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
(2nd & 3rd Floor Sanchar Vikas Bhawan BSNL Building Near Head Post Office Residency Road Jabalpur (M.P) -482001) (Area for Jurisdiction - Madhya Pradesh)

SUMMON FOR APPEARANCE & SHOW - CAUSE

No .... Date ....

Summon to defendant under section 19 (4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993).

Original Application no. OA/1161/2023

HDFC BANK LTD. Applicant(s)
Versus
IRSHAD SHAH & OTHERS Defendant (s)

To,
1. **Irshad Shah** Add.: 42, Kshipra Marg, Ayodhya Basti Near Ganesh Chopati Mahidpur, Ujjain, 456443
2. **Mohd. Yusuf Qureshi** 42, Kshipra Marg, Ayodhya Basti Near Ganesh Chopati Mahidpur, Ujjain, 456443

Whereas, **OA/1161/2023** was listed before the Hon'ble Presiding officer On **06/11/23.**

Whereas this Hon'ble Tribunal please to issues summons/notice on this said application under 19 (4) of the act, OA filed against you recovery of debts of **Rs.22,26,597/-** with expenses & future interest

In accordance with sub section 4 of section 19 of the act you, the defendants are directed as under;

1. to show cause within 30 days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
2. to disclose particulars off properties of assets other than properties & assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
3. you are restrained form dealing with or disposing of secured assets of such other assets & properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing & disposal of the application of the attachment of properties;
4. you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets & properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal;
5. you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business & deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant & to appear before Registrar on **13/03/2026 at 10:30 am** failing which the application shall be heard & decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal. This 11th Day of December 2025.

Authorize officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	9557972	श्री विजयंत भंडारी जैन (ऋणी) श्रीमती निर्मला बाई जैन (सह-ऋणी) श्रीमती खुशबू जैन (सह-ऋणी)	Rs. 4,23,252/-	10-12-2025 & 08-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : फ्लेट नंबर 101, प्रथम मंजिल, ब्लॉक- वाय (जैस्मीन ए-6), आवासा प्रोजेक्ट, ग्राम बीजलपुर में स्थित, तहसील एवं जिला इंदौर, बिल्ट-अप एरिया 886 वर्ग फीट यानी 82.34 वर्ग मीटर (सुपर बिल्ट-अप एरिया 1195 वर्ग फीट यानी 111.05 वर्ग मीटर) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: लिफ्ट एवं फ्लेट नंबर 102, पश्चिम: बिल्डिंग की खुली जगह (ओपन एम.ओ.एस.), उत्तर: बिल्डिंग की खुली जगह (ओपन एम.ओ.एस.), दक्षिण: फ्लेट नंबर 105				
2	10160701	श्री राजेश प्रजापत (ऋणी) श्रीमती सोराम बाई प्रजापत (सह-ऋणी)	Rs. 6,83,667/-	11-12-2025 & 08-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : उक्त अचल संपत्ति 'हाईवे ग्लोरी' एल.आई.जी. प्लॉट नंबर 19 पर बना एक आवासीय मकान, जो सर्वे नंबर 115/13, 115/14, 114/3/15/1/2/मिन-1, 114/2/1 पर स्थित प्लॉट का क्षेत्रफल 590.00 वर्ग फीट यानी 54.83 वर्ग मीटर, जो ग्राम बड़ेदियाइमा, तहसील सांवेर एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 341 एवं 342, उत्तर: एल.आई.जी. प्लॉट नंबर 18, दक्षिण: एल.आई.जी. प्लॉट नंबर 20				
3	9659667	श्री रमेश डोरिया (ऋणी) श्रीमती सुमन बाई डोरिया (सह-ऋणी)	Rs. 11,77,239/-	11-12-2025 & 08-12-2025
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : प्लॉट नंबर 68 (दक्षिणी भाग) पर बने मकान का समी भाग, भक्त श्री जलाराम नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 05, ग्राम इटवा पटवारी हल्का नंबर 42 स्थित, तहसील एवं जिला देवास चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: 9.00 मीटर कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 61, उत्तर: मकान नंबर 68 (उत्तरी तरफ), दक्षिण: प्लॉट नंबर 69				
4	9919286	श्री अजय रामी (ऋणी) श्रीमती टिना रामी (सह-ऋणी)	Rs. 1,12,05,884/-	17-12-2025 & 07-08-2025
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : शेड्यूल प्रॉपर्टी - 1 :- अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, म्युनिसिपल मकान नंबर 113/2, जिसका कुल क्षेत्रफल 71.12 वर्ग मीटर (जिसमें बना हुआ एवं खुला क्षेत्र शामिल), जिसकी पूर्व-पश्चिम लंबाई उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ 19.12 मीटर एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ 3.72 मीटर, साथ में 51.04 वर्ग मीटर का बना हुआ ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र एवं 20.08 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र, लगभग 77 साल पुराना, जिसका उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। योगेश्वर टेकरी लेन (तिलक मार्ग लेन) में स्थित, उज्जैन चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: योगेश्वर टेकरी लेन, पश्चिम: बिल्डिंग म्युनिसिपल नंबर 113/2/1, उत्तर: संतोष जैन एवं आशा (संतोष जैन की पत्नी), अशोक शर्मा एवं दिलीप शर्मा का मकान, दक्षिण: दीपक रामी एवं कमला रामी का मकान शेड्यूल प्रॉपर्टी - 2 :- अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश म्युनिसिपल मकान नंबर 113/2/1, जिसका कुल क्षेत्रफल 44.64 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्रों सहित), जिसकी पूर्व-पश्चिम लंबाई उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ 6.00 मीटर एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ 3.72 मीटर, साथ ही 22.32 वर्ग मीटर का निर्मित ग्राउंड फ्लोर क्षेत्र एवं 22.32 वर्ग मीटर का निर्मित प्रथम मंजिल क्षेत्र, लगभग 77 साल पुराना, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एवं प्रथम मंजिल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो तिलक मार्ग में स्थित, उज्जैन चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: म्युनिसिपल मकान नंबर 113/2, पश्चिम: सड़क, उत्तर: अशोक शर्मा एवं दिलीप शर्मा का मकान (आधी दीवार त्याग में शामिल), दक्षिण: कमला रामी का मकान (आधी दीवार त्याग में शामिल)				

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 20-12-2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इन्दौर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़,अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन-456010

Aadhar Housing Finance Ltd

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समें ट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 02000000500 / उज्जैन शाखा) हबीब शाह (ऋणी) मुक्कदर शाह एवं जाकिर शाह (सह-ऋणी) टिपु शाह (जमानतदार)	12-12-2025 एवं ₹ 4,54,177/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 907/1 मकान नं. 41 सर्वे नं. 907/1 का भाग, वार्ड नंबर 07 अब्दुल रसूल गली बगोड़ा रोड़ तराना, तहसील तराना जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456665 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - 10 फीट रोड, पश्चिम - श्री यूनुस भाई का प्लॉट, उत्तर - खुशी खां का मकान, दक्षिण - नजमा बी का प्लॉट

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFLके लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश सही/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 20.12.2025 वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
उज्जैन शाखा - 06/पहली मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के उपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन-456010

Aadhar Housing Finance Ltd

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 02010001177/ उज्जैन शाखा) अक्षय सिसोदिया (ऋणी) आरती कुशवाह (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लेट नं.507 पांचवी मंजिल ओम साई ओम सांवेर रोड वार्ड नं.47 उज्जैन म.प्र. 456001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - फ्लेट नंबर 508, पश्चिम - खुली जगह फिर फ्लेट नं.506, उत्तर - टाउनशिप का खुला क्षेत्र, दक्षिण - गलियारा	12-05-2025 एवं ₹10,54,474/-	18-12-2025

स्थान : मध्य प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 20.12.2025 आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड